THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI ARUN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) 53.

(c) The countries of origin of the apprehended trawlers are Pakistan, Bangla Desh, Sri Lanka, Thailand, Taiwan and Korea. The custody of the apprehended trawlers, with their crew outfits and fish holds is made over to the local police.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिये योजना

1039. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विभाग में देश के प्रत्येक कार्य के लिये योजना बनायी जाती है और इस प्रयोजनार्थ योजनाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा हिन्दी को लाने संबंधी ऐसी कोई योजना नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं पर आधारित पंचवर्षीय विकास योजनाएं योजना आयोग में बनाई जाती हैं । अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा हिन्दी को लाने संबंधी स्कीमें गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की जाती हैं और संवीक्षा तथा पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल करने के वास्ते योजना आयोग को भेजी जाती हैं । राजभाषा का कार्य, राजभाषा अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना है । इस प्रयोजन के लिए सातवीं योजना में परिव्यय 2 करोड़ रुपये है।

Representation from Riot Victims Association regarding payment of bank loans

1040. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India, Central Office Bombay has received representation dated 31-1-1987 and also earlier representations from 'November 1984 Riot Victims Association, Janakpuri, New Delhi' regarding harassment being meted out by the Banks Managements for recovery of relief bank loans in lump sum from the riot victims who are not in a position to repay the loans;

(b) whether it is also a fact that Government have decided to recover the relief loans in lump sum from the riot victims through courts after initiating legal proceedings; and

(c) if so, what action has been taken by Government to remove the hardship being faced by the riot victims who are not in a position to repay the bank loans?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Reserve Bank of India has reported that it has received a representation dated 31st January, 1987 from November 1984 Riot Victims Association on 12th February, 1987 regarding recovery of loans. It has advised its Regional Office at New Delhi to look into the complaints.

(b) and (c) Reserve Bank of India issued necessary guidelines to banks vide its circulars dated the 6th, 12th and 14th November, 1984 advising them to provide need-based loan assistance on comparatively softer terms and conditions to the affected persons in November, 1984 disturbances for continuing/re-establishing their production, business and occupation. It

is envisaged that such borrowers are to repay the bank-loan instalments from the income generated from their productive ventures/business/occupation and not from the compensation received from the Government. The banks follow-up with the borrowers the payment of instalments as and when they fall due according to the repayment schedule. However, specific complaints, if any, could be taken up with the concerned bank for remedial action. Relief in the repayment of bank loans can also be considered by banks on the merits of each individual case.

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा राजभाषा का प्रयोग

1041. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी-कितनी शाखाएं प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं और इन शाखाओं में राजभाषा के प्रयोग संबंधी स्थिति क्या है ;

(ख) राज्यों में स्थित प्रत्येक बैंक की ऐसी शाखाओं की संख्या कितनी-कितनी है, जो अपना 100 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत कार्य राजभाषा हिन्दी में करते हैं और संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी स्थिति क्या है और क्या इस संबंध में योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में "ग" समूह के राज्य अन्य राज्यों से आगे हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में राजभाषा संबंधी कार्यक्रम का क्रियान्वयन धीमा है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या 28 है और न कि 29 जैसे कि प्रश्न में बताया गया है । दिनांक 30 जून, 1986 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्य/संघ राज्य-वार शाखाओं की संख्या की सूची संलग्न विवरण में दी गई है

[नीचे देखिए]

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली में राजभाषा के प्रयोग के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है अलबत्ता, राजभाषा नियम, 1976 में परिभाषित भाषाई क्षेत्रों अर्थात् "क", "ख" और "ग" के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है ।

उपर्युक्त तीनों क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा के प्रयोग की स्थिति अलग-अलग है । लेकिन कुल मिलाकर, सरकारी क्षेत्र के बैंक सभी क्षेत्रों में सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं । सरकार ने निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित करने के वास्ते सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अनुदेश दे दिए हैं :—

(i) उत्तर प्रदेश सहित "ख" क्षेत्र के राज्यों में बैंक शाखाओं में अधिकांश काम हिन्दी मे किया जाये ।

(ii) उत्तर प्रदेश तथा "ख" क्षेत्र के अन्य राज्यों में पास बुकें हिन्दी में जारी की जायें ; और

(iii) "क" क्षेत्र में स्थित बैंकों के प्रधान कार्यालयों में हिन्दी अनुभाग के अलावा एक अनुभाग को अपना सारा काम हिन्दी में करने के वास्ते नामित किया जाए ।